अध्याय 7.==प्रजनन तकनीकी

*प्रजनन तकनीकी:*

मानव प्रजनन की प्राकृतिक प्रक्रिया में संम्भोग, फालोपियन ट्यूब में निषेचन, गर्भाशय में आरोपण तथा गर्भधारण है. ‘प्रजनन’ तकनीकी शब्द आमतौर पर बांझपन को दूर करने केलिए या अधिक चरणों को बदलने केलिए विकसित प्रक्रियाओं पर लागू होती है. इन तकनीकियों में कृत्रिम गर्भाधान इन विट्रो फर्टिलाइजेसन और अंडे दान करना है.

 कृत्रिम गर्भाधान को प्रजननक्षम महिला में अपने पति या दाता से प्राप्त शुक्राणु का कृत्रिम परिचय द्वारा तयुबल निषेचन प्राप्त करने केलिए डिज़ाइन किया गया है. इस तकनीकी का उपयोग तब किया जाता है जब पति प्रजनन में क्षम नहीं है या किसी आनुवंशिक कारण से पैदा होने वाली संतान को खतरा हो. दाता तकनीकी भी तभी अपनाई जाता है जब अविवाहित महिला माँ बनना चाहती है. इन विट्रो फर्टिलाइजर में शुक्राणु (पति अथवा दाता) को अंडाणु (पत्नी अथवा दाता) को एक कांच लेबोरेटरी डिश में मिलाकर महिला के गर्भाशय में भ्रूण के विकसित होने केलिए आरोपण कर दिया जाता है.सिह प्रक्रिया उन महिलाओं में सफल हो सकती है जिनकी फालेबियन ट्यूब में बाधा होने के कारण प्रजनन क्षमता नहीं है. अंडदाता तब लिया जाता है जब महिला का अंडाशय के काम नहीं करने अथवा अनुपस्थित रहने के कारण प्रजनन करने सम्बन्धी समस्या रहती है. यदि उसका गर्भाशय काम करता है और अंडाणु दाता से लेकर उसके पति के शुक्राणु के साथ मिलकर ओर भ्रूण को उसके गर्भाशय में आरोपण कर दिया हटा है. एक महिला जिसका अंडाशय काम करता है किन्तु अक्षम गर्भाशय अपने अंडे को इन विट्रो में अपने पति के शुक्राणु के साथ निषेचित कर किसी अन्य महिला के गर्भाशय में गर्भधारण काल केलिए आरोपण कर दिया जाता है. यह प्रक्रिया तथाकथित सरोगेट मदर कहलाती है.

 इन प्रजनन तकनीकियों जिनका उपयोग वर्तमान में हमारे चारों ओर देखा जा सकता है, वो जितना उनकी जटिलताओं को बताता हैं उतना ही उनके उपयोग से जुड़े हुए नैतिक प्रश्नों को शामिल रखती है.

 दूसरी तकनीकी मसलन,क्लोनिंग, अभी विकासशील अवस्था में हैं, यह तकनीकी, यदि सफल होती है तो यह मानवीय सत्ता को आनुवंशिक रूप से, दाता माता-पिता के समान उत्पन्न करेगी. प्रजनन तकनीकी संबंधी नैतिक सोच बेवी एक मामले में विवाद से चर्चा का केंद्र बना. इस मामले में, न्यूजर्सी की महिला ने नि:संतान दम्पति से एक समझौता किया. पति के शुक्राणु द्वारा कृत्रिम गर्भधारण करने और उसके बच्चे को जन्म देने का सम्हौता किया है. बच्चे के जन्म के बीच सरोगेट माँ ने समझौता तोड़ा और बच्चे को अपने पास रखने का मानस बनाया. मामला अदालत में, पहुंचा. अदालत ने लम्बी सुनवाई के बाद उसके आनुवंशिक पिता और उसकी पत्नी के पक्ष में निर्णय दिया. किन्तु मामला ऊपर की अदालत में गया, जिसने सरोगेट के माता-पिता अधिकारों को पुनर्बहाली की. कुछ पर्यवेक्षकों के अनुसार, बेबी एम. के खिलाफ तीखी हिरासत लड़ाई एक ज्वलंत प्रदर्शन था कि सरोगेट मातृत्व व्यवस्थाएं अनुचित पीड़ा पैदा करती हैं. और इसे गैर-क़ानूनी घोषित किया जाना चाहिए.

 1887 में इसी समय जब बेबी एम के मामले की बयान सुनने गए. वेटिकन ने कई प्रजनन तकनीकों के उपयोग की निंदा करते हुए एक दस्तावेज जारी किया. कथन का आधार कैथोलिक चर्च का यह सिद्धांत था कि जन्म केवल वैवाहिक जोड़ों के संभोग का परिणाम है. वेटिकन ने तकनीकी प्रक्रिया से अंडाणु को नष्ट करने के खिलाफ अनेक तरह के नैतिक प्रश्न उठे.(विट्रो निषेचन में अनेक अंडाणुओं को नष्ट कर दिया जाता है और केवल एक का आरोपण किया जाता है) ये आपतियां इस दृष्टिकोण पर आधारित हैं कि निषेचित अंडा मानव सत्ता का नैतिक अस्तित्व रखता है और जिसे अनावश्यक रूप से हानि नहीं पहुंचनी चाहिए.

 जब प्रजनन तकनीकी पर आधारित दृष्टि कुछ नैतिक प्रश्न उठाते हैं. तो आपतियां दूसरे आधारों पर खड़ी होती हैं. कुछ लेखक तर्क करते हैं कि सरोगेट मातृत्व की परिपाटी एक तरह से मानव जीवन की तस्वीर है और यह दासता के समतुल्य है. दूसरा दृष्टिकोण कहता है कि सरोगेट एक प्रकार का आर्थिक शोषण है. जो अमीर दम्पतियों केलिए महिला का एक वर्ग “प्रजनक” तैयार करता है. इसके समर्थक इस परिपाटी का मानवीय मूल्य नि:संतान दम्पति को अपना इच्छित बच्चा जो जैविकीय सहसम्बन्ध से कम सेकम एक (माता-पिता) को पाते हैं. दूसरी नैतिक आपति का केंद्र मानवीय प्रजनन में तकनीकी हस्तक्षेप से अप्राकृतिक और निर्व्येक्तिक हस्तक्षेप के चारों ओर है. इनका उत्तर इससे लाभान्वित दम्पतियों द्वारा दिया गया है जिन्होंने बांझपन की पीड़ा को झेला है. तर्क दिया है कि प्रजनन तकनीकी विकसित होते भ्रूण को अदृश्य हानि पहुंचाती है. क्लोनिंग को “बहादुर नयी दुनिया” से सम्बन्धित एक अशुभ सम्भावना के रूप में देखा जाता है.क्योंकि यह व्यक्तिगत व्यक्तियों की आनुवंशिक विशिष्टता से समझौता करता है. कुछ चेतावनी देते हैं कि यदि क्लोनिंग व्यापक रूप से फैलता है तो यह मानव जीनोटाइप की विविधता को सीमित करके प्रजातियों के अनुकूलन को कमजोर कर सकता है.

 निम्नलिखित लेख में जार्ज जे.एनास सरोगेट मातृत्व समझौते से उठे नैतिक प्रश्नों का परीक्षण करती हैं. अन्ना कहती है कि बच्चे की भलाई का सबसे प्राथमिकतौर पर ध्यान रखा जाना चाहिए. जब कोई सरोगेट पेरेंटिंग के बारे में निर्णय लेता है. लेखक तर्क करते हैं कि सरोगेट माता बच्चे को अपने पास रखने का क़ानूनी अधिकार रखती है;---यदि वह इसे रखना चाहती है. वह निश्चित रूप से रख सकती है. वस्तुतः उसने सुझाव दिया कि यहाँ तक कि वह बच्चे के सहयोग केलिए अपने जैविकीय पिता जी पर मुकदमा चलाने केलिए सक्षम है. तर्क बेबी एम मामले के आलोक में और ज्यादा रुचिकर है. जिसमें सरोगेट माँ बच्चे को अपने पास रखने से इंकार करती है.

 *जार्ज जे.अन्नास:*

*बच्चा पैदा करने का अनुबंध: करुणा अथवा व्यापारिकता*

 बहुत से चिकित्सा व अन्य क्षेत्र के विधार्थी अपना खून और शुक्राणु बेचकर अपनी आय को पूरित करते हैं. किन्तु यदि यह परिपाटी तर्कपूर्ण और स्वीकृत भी लगती है तो भी समाज व्यक्ति को उसके नाजुक अंगों को बेचने की स्वीकृति नहीं दे सकता है. ये नीतियाँ लगभग अपरिवर्तनशील हैं. इस पृष्ठभूमि में क्या बच्चे पैदा करने का अनुबंध होना चाहिए? क्या वे मौलिक रूप से 9 महीने के गर्भ किराये के साथ डिम्ब की बिक्री में शामिल हैं या क्या वे असल में बच्चे के बचने का समझौता करते हैं? हालाँकि इस सूत्र में इस मुद्दे को ‘वाक्यांश’ करने का एम अजीब तरीका हो सकता है, यह तरीका है कि अदालतें इसे बनाने की सम्भावना रखती हैं. जब ऐसे अनुबंधों को इस आधार पर चुनौती दी जाती है कि वे सार्वजनिक नीति का उल्लंघन करते हैं.

 एक प्रारुपी सरोगेट माँ परिपाटी में महिला एक अनुवर महिला के पति का शुक्राणु के साथ कृत्रिम गर्भधारण करने पर सहमत होती है. वह यह भी सहमति देती है कि बच्चे के जन्म के बाद वह दम्पति को दे देगी और अपने मातृत्व के तमाम अधिकारों का परित्याग कर देगी. जैविकीय पिता को एक मात्र क़ानूनी माता-पिता रहेगा. वर्तमान का विवाद इस बिंदु को लेकर है कि सरोगेट को अपनी सेवाओं केलिए कीमत देनी चाहिए या नहीं. इन सेवाओं केलिए सरोगेट का भुगतान किया जा सकता है या नहीं? क्या उसे असुविधा और जेब खर्च केलिए मुआवजा दिया गया है या उसे उसके बच्चे केलिए भुगतान किया जा रहा है?

 दो व्यक्तिगत कहानियों ने मिडिया में ध्यान आकृषित किया.

 पहली, 20 वर्षीय अविवाहित महिला की है जिसने कभी बच्चे को जन्म नहीं दिया और एक दम्पति के बिना किसी मुआवजे के कृत्रिम गर्भधारण से बच्चा पैदा करने और उन्हें देने की सहमति दी. उसने इसका कारण बताते हुए कहा कि मेरे गहरे मित्र हैं जिनके कोई बच्चा नहीं है और मैं जानती हूँ कि वे किस तरह बच्चे को पाना चाहते थे. बस यही कारण था जिसकी वजह से उसने ऐसा किया.

 एम और प्रसिद्ध महिला है जिसने बच्चे को जन्म दिया और अपने माता-पिता त्याग दिया. एलिजाबेथ केन, विवाहित थी और तीन बच्चों की माँ थे. बच्चे जन्म ने की कीमत 10,000 तय हुई. अनुबंध डा. रिचर्ड लेविन केन्थयु ने बातचीत के जरिये किया जो जानता था कि लगभग 100 सरोगेट हैं जो यही सेवाएँ मुआवजे केलिए देना चाहती हैं. लेविन ने कहा: मैं स्पष्ट रूप से हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें नैतिक या नीतिशास्त्रीय समस्या नहीं रखता हूँ. केन ने बच्चे के साथ अपने सम्बन्ध को यह कहते हुए वर्णन किया कि: यह पिता का बच्चा है, मैं केवल उसके लिए पैदा कर रही हूँ.”

 इस संक्षिप्त खाके में दो दृष्टियों के बारे में बुनियादी प्रश्न उठते हैं. सरोगेट विवाहित होनी चाहिए या अविवाहित; उसके दूसरे बच्चे होने चाहिए या नहीं. दम्पति को सरोगेट से मिलना चाहिए या नहीं? (केन जब बच्चे को जन्म दे रही थी तो दम्पति प्रसवकक्ष में थे.) जब बच्चा बड़ा हो तो उसे सरोगेट परिपाटी की जानकारी होनी चाहिए या नहीं? क्या मौद्रिक मुआवजा असली मुद्दा है? (दाव्सकी को दाता द्वारा और शुक्राणु देने को कहा यदि वह अपने लिए बच्चा पैदा करना चाहती है.)

 तमाम पक्षों के साथ किस तरह की परामर्श करनी चाहिए? क्या देश में यह किया जाना विचित्र चीज नहीं है कि रिकार्ड लाखों की संख्या में होंगे. उन महिलाओं को प्राप्त करने का प्रयास क्यों नहीं किया गया है? जो पहले से ही गर्भवती है बजाय उनके जिनको इस तरह का कोई अनुभव नहीं है.

 ये प्रश्न और इसी तरह के अन्य प्रश्न एक गम्भीर चर्चा की मांग करते हैं. जहाँ तक क़ानूनी बहस प्राथमिक रूप से केन्द्रित है वह केवल एम है : क्या सही तरीके से सरोगेट पेरेंटिंग को “बेबी बिक्री” लेबल किया जा सकता है? क्योंकि माता-पिता मेसे एक (पिता) बच्चे से जैविकीय ढ़ंग से सम्बन्धित है और माँ जिस समय यह सौदा हुआ उस समय गर्भवती नहीं है और इसलिए अपने बच्चे को कोई मजबूरी के तहत नहीं है. लेकिन केवल दो क़ानूनीराय असहमत हैं. दोनों निचली अदालतों के दृष्टिकोण (मिसिगन और केंत्स्की) बच्चे पैदा करने का अनुबंध ‘बेबी बिक्री’ हैं.

 *मिसिगन में कोर्ट ने चुनौती दी.*

1970 के मध्य में, बहुत से राज्यों ने अधिनियम बनाते हुए बच्चे को ग्रहण करने केलिए किसी भी प्रकार की कीमत देना या लेना एक आपराधिक कृत्य बना दिया.स इस प्रावधान का उद्देश्य बच्चों की कालाबाजारी जो तेजी से बढ़ रही थी, को रोकना था. बच्चे को दो हजार डालर तक में भी बेचा जा रहा था. यह अनुमान लगाते हुए मिशन अधिनियम का संस्करण उसको बच्चे को जन्म देने के बदले पैसा लेने के धंधे पर लगेगा. दत्तक ग्रहण पर प्रतिबन्ध और वकील कीन ने एक घोषणात्मक निर्णय चाह. उसने तर्क दिया कि असंवैधानिक है इसलिए यह प्रजनन की निजता के अधिकार जिसमें पक्ष शामिल हैं, का उल्लंघन करता है. कोर्ट इसे प्रभावित नहीं हुआ और निष्कर्ष दिया कि पैसा देकर दत्तक ग्रहण का अधिकार मौलिक व्यैक्तिक अधिकार नहीं है और दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया को नियंत्रित करने केलिए विवेकसम्मत नियम कि जो पैसे के विनियम को प्रतिबंधित करता है.

*कौन परवरिश करे?*

सरोगेट पेरेंटिंग, इसे गोपनीयता की दीवार के पीछे खोलें, बड़ी संख्या में लोगों को शामिल करने की सम्भावना नहीं है.स क्या हमें उसकी परवाह करनी चाहिए? या केवल हमें हमारी असहमति की घोषणा कर दें और उसे जाने दें. यह मैं नहीं जानता किन्तु मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रश्न का उत्तर एक अन्य प्रश्न के उत्तर में है: बच्चे के हित में श्रेष्ठ क्या है? निश्चिततौर पर वे मनोवैज्ञानिक समस्याओं की ओर झुके हुए हैं, जब वे जानते हैं कि उनकी जैविकीय माँ ने उनको केवल दत्तक ग्रहण केलिए नहीं छोड़ा, किन्तु कभी भी उसने स्वयं मातृत्व करने का इरादा नहीं रखा.

 दूसरी ओर, कोई तर्क दे सकता है कि बच्चा कभी जन्म नहीं लेता यदि सरोगेट माँ की प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती और इसलिए बच्चा का जो कुछ भी अस्तित्व में है, वह नहीं कुछ नहीं होने से कुछ होना ज्यादा अच्छा है.

  *सरोगेट माँ की दृष्टि:*

 एलिजाबेथ केन ने कहा कि उसने दर्द के दौरान एक बार खेद महसूस किया. मैंने अपने आप के बारे में सोचा कि मैं दिमांग से बाहर हूँ. क्यों तुम अपने आपको इसमें गुजरने दिया. किन्तु यह केवल एक क्षण था. उसने यह भी कहा कि उसने गर्भधारण के दौरान अनेक भावनाएं महसूस की. जिस पर मैंने एक किताब लिखी. (===)

 इस तरह की पार्टियों के संभावित लाभ का अंदाज लगाने की बड़ी समस्या है क्तोंकी हम उनके बारे में बहुत कम जानते हैं. उदाहरण केलिए, डाटा द्वारा कृत्रिम गर्भधारण पर केवल उपख्यानात्मक जानकारी मिलती है. यह परिवार के जोखिम को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती हुई लगती है. किन्तु माँ का जैविकीय भूमिका [पिता की भूमिका से बहुत ज्यादा होती है और परिवार का विघटन आनुपातिक रूप से उच्चा होता है यदि माता वह है जो बच्चे को छोड़ देती है. शुक्राणु दाता डिस्को मामले में यह कहा:

 यह स्वार्थी लग सकता है, लेकिन मैं अपनी ओर से एक बच्चे का पिता बनना चाहता हूँ मेरी स्वयं की विरासत छोड़ना चाहता हूँ और मैं एक स्वस्थ बच्चा चाहता हूँ. और बस उपलब्ध नहीं है. वे या तो मंदबुद्धि हैं या वे अल्पसंख्यक हैं. काले या हिस्प्रिय्म हैं, कुछ लोगों केलिए यह ठीक हो सकता है, लेकिन हमें नहीं लगता है कि इसे संभाल सकते हैं.

 क्या यह व्यक्ति सचमुच में पितृत्व चाहता है? क्या होता अगर बच्चा शारीरिक या मानसिक रूप से विकृत हो, तब वह कैसे व्यवहार करता? क्या बच्चे को छोड़ देना चाहिए जब सरोगेट माँ और दत्तक ग्रहण दम्पति उसे छोड़ देते हैं? शुक्राणु दाता बच्चे के प्रति किसी तरह की जैविकीय प्रतिबद्धता नहीं रखता है और न ही उससे आर्थिक अथवा मनोवैज्ञानिक सहयोग की आशा की जा सकती है. यदि उनकी इच्छानुसार या समझौते के अनुसार उसे नहीं पाते हैं.

 शायद सम्पूर्ण सरोगेसी माँ संबंधी बहस में केवल एक बड़ा प्रश्न है कि क्या इसका कोई स्पष्ट उत्तर है कि यह बच्चा किसका है? मातृत्व संबंधी दृष्टि से, यह जैविकीय माँ का बच्चा है. यदि वह इसे रखना चाहती है तो वह निश्चित रूप से इसे रख सकती है. वस्तुतः उचित परिस्थितियों में, वह बच्चे को रखने में सक्षम है और शुक्राणु दाता पर बच्चे का सहयोग करने केलिए मुकदमा कर सकती है. पितृत्व संबंधी दृष्टि में, यह शुक्राणु दाता का भी जैवकीय बच्चा है लिकिन सभी राज्यों में (विवाह में पैदा ही बच्चों को माना जाता है कि वे विवाहित जोड़े में वैध बच्चे हैं.इसलिए यदि सरोगेट माँ विवाहित है तो बच्चे केलिए यह माना जाता है कि बच्चा दम्पति का है, न की शुक्राणु दाता का. दाता अपने पास रखने का दावा कर सकता है यदि वह निसंदेह यह सिद्ध कर देता है कि वह बच्चे का असली पिता है. तब फिर कोर्ट यह देखेगा कि “बच्चे के सबसे अच्छे हितों का ख्याल कौन रख सकता है.

 यह एक रुचिकर क़ानूनी मोड़ है जहाँ कृत्रिम गर्भधारण संबंधी क़ानूनी है, शुक्राणु दाता कोई अधिकार नहीं रखता है यदि वह दावा कर देता है तब भी. “ दाता की पत्नी के अलावा अन्य महिला के कृत्रिम गर्भधारण में उपयोग केलिए प्रदान किए गए वीर्य के साथ कानून ऐसा व्यवहार किया जाता है जैसे कि मानो वह उस बच्चे का प्राकृतिक पिता नहीं था जिससे उसकी कल्पना की गई थी.” पुरानी कहावत है “ माँ का बच्चा” “पिता का बच्चा”. सरोगेट की वर्तमान क़ानूनी प्रतिक्रिया का उपयुक्त वर्णन करती है जिसने अपना मन बदल लिया है और बच्चे को रखने का निर्णय लिया है.

*क्या कानून होना चाहिए?*

 विज्ञान और परिवार कमेटी सरोगेट माँ के मामलों की जाँच कर इसकी कोई वैधानिक स्थिति बनाने का प्रयास किया. इस क्षेत्र में क़ानूनी रूप से क्या उचित होगा? और सिफारिश की कि इनविट्रोफर्टिलाइजर और भ्रूण हस्तांतरण के परिणामस्वरूप पैदा हुए. बच्चों की क़ानूनी स्थिति को स्पष्ट करने केलिए विकसित किया जाए. हमें दाता द्वारा और सरोगेट माँ कृत्रिम गर्भाधान के सम्बन्ध में सहमति का सिद्धांत की आवश्यकता है. यदि इनविट्रोफर्टिलाइजर और भ्रूण में वांछनीय परिवर्तन जो नुकसान की बजाय अच्छे हो, विवेकसम्मत बदलाव ट्रांसप्लांट की दरकार रखते हैं.